संख्या:66/2018/1308/छप्पन-2018-71/2017

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 27 जून, 2018

विषय: मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 29 मई, 2018 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में सिकन्दरपुर मार्ग से हिण्डन सिविल टर्मिनल तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण विषयक प्रस्ताव का प्रेषण।

महोदय,

सिकंदरपुर मार्ग से हिंडन सिविल टर्मिनल तक जाने वाले प्रस्तावित संपर्क मार्ग हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था और उस पर संपर्क मार्ग के निर्माण के संबंध में दिनांक 29 मई, 2018 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग, लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के साथ विचार-विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि सिकंदरपुर मार्ग से हिंडन सिविल टर्मिनल तक जाने वाले प्रस्तावित मार्ग हेतु सर्वप्रथम नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा इस आशय का एक प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा कि हिंडन एयरबेस पर निर्मित हो रहे सिविल टर्मिनल को आवागमन हेतु मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए लगभग 650 मीटर लंबी नई सड़क के निर्माण की आवश्यकता है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि को भूस्वामियों से लीज पर लेकर सड़क निर्माण का कार्य अपने विभागीय बजट से कराया जाएगा। लीज पर ली गई भूमि पर सड़क निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा यथावश्यकता माननीय मंत्रिपरिषद के आदेश प्राप्त कर लिए जाएंगे। बैठक दिनांक 29 मई, 2018 का कार्यवृत्त संलग्न है (संलग्नक-1)।

2- इस संबंध में सूच्य है कि:-

(1) सड़क निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का लीज रेंट जिला प्रशासन द्वारा भूस्वामियों की सहमति से पूर्व में ही तय किया जा चुका है(संबंधित अभिलेख संलग्न है- संलग्नक 2)।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) इसके अतिरिक्त टर्मिनल बिल्डिंग की भूमि से संबंधित किराएनामा का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है जिसे लोक निर्माण विभाग अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार दूसरे पक्ष के साथ विचार विमर्श के उपरांत संशोधित अथवा परिवर्धित कर सकते हैं (प्रारूप संलग्न है- संलग्नक 3)।

3- उपर्युक्त अभिलेखों को संलग्न कर प्रेषित करते हुए इस संबंध में आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि हिंडन एयरबेस पर निर्मित हो रहे सिविल टर्मिनल को आवागमन हेतु मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सिकंदरपुर मार्ग से हिंडन सिविल टर्मिनल तक जाने वाले प्रस्तावित मार्ग लगभग 650 मीटर लंबी नई सड़क के निर्माण की आवश्यकता है। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में संपन्न बैठक दिनांक 29 मई, 2018 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग कृपया सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि को भूस्वामियों से तीन वर्ष की लीज (जिसे बाद में यथावश्यकता बढ़ाया जा सकेगा) पर लेकर सड़क निर्माण का कार्य अपने विभागीय बजट से कराने का कष्ट करें। लीज पर ली गई भूमि पर सड़क निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा यथावश्यकता माननीय मंत्रिपरिषद के आदेश प्राप्त कर लिए जाएंगे।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

पृ0संख्या: 66/2018/1308(1)/छप्पन-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली।
3. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।